न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग), पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री राधेश्याम (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्याः— 12/2018

वादीः—	बनाम	प्रतिवादीगणः—
1. घीसूलाल पुत्र धन्नाराम जाति कुम्हार निवासी खुडाला तहसील बाली		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाली, जिला पाली राजस्थान।

उपस्थितिः—

1. श्री हनुमानसिंह, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री सुरेन्द्र सिंह लाबाना, राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 की ओर से।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 144 व्यवहार प्रक्रिया संहिता

—ःनिर्णयः— दिनांक 24-9-2021

1. प्रार्थी ने यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 144 संपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत अप्रार्थी के विरूद्व दिनांक 11.07.2016 को न्यायालय अति.जिला कलेक्टर पाली में प्रस्तुत कर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर न्यायालय द्वारा प्रकरण सं. 4827/2016 पाली अनवान घीसूलाल बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 04.07.2016 तथा प्रकरण संख्या 2005/2450 निर्णय दिनांक 05.12.2012 की पालना करवाने का निवेदन किया। न्यायालय अति. जिला कलेक्टर पाली में प्र.सं. 06/2016 दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया।

2. तत्पश्चात् राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप) विभाग जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.9 (7) राज.—1/2014 दिनांक 24.05.2018 की पालना में श्रीमान् अति.जिला. कलेक्टर पाली के पत्रांक/कोर्ट/2018/ 1161 दिनांक 31.05.2018 द्वारा उक्त प्रकरण स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई। इस न्यायालय में प्रकरण सं. 12/2018 दिनांक 06.06.2018 को दर्ज रजि. कर पक्षकार/वकुलाये को सूचित किया गया।

3. प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री हनुमानसिंह द्वारा सीधे बहस हेतु निवेदन किया।

4. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

5. प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी मौखिक बहस में निवेदन किया की प्रार्थी ने श्रीमान अति.जिला कलेक्टर पाली के प्रकरण संख्या 105/01 में पारित निर्णय दिनांक 14.12.2004 व नामान्तरकरण संख्या 508 दिनांक 02.02.2005 से प्रभावित होकर अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के न्यायालय में अपील संख्या 2450/05 अनवान घीसूलाल बनाम सरकार अति. जिला. कलेक्टर पाली प्रकरण संख्या 2450/05 में निर्णय दिनांक 05.12. 2012 द्वारा अति. जिला. कलेक्टर पाली के प्रकरण संख्या 105/01 में पारित निर्णय दिनांक 14.12.2004 व नामान्तरकरण संख्या 508 दिनांक 02.02.2005 ग्राम खुडाला को अपास्त/निरस्त किया जाकर विवादित भूमि को प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश प्रसारित किया गया तथा उक्त आदेश की पालना 7 दिवस में करने हेतु संबधित अधिकारीयों को निर्देशित किया।

अति. जिला... पाली (राज.)

6. यह है कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 05.12.2012 की पालना में अनावश्यक विलम्ब होने से प्रार्थी ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अन्तर्गत धारा 9 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम एंव आदेश 21 नियम 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसीलदार बाली व अति.जिला. कलेक्टर पाली द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के प्र.सं. 2450/05 में पारित निर्णय दिनांक 05.12.2012 की पालना नही की जा रही है। जो अविलम्ब पालना करवाई जावें।

7. तत्पश्चात् माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रकरण संख्या 4827/2016 में पारित निर्णय 04.07.2016 द्वारा पुनः अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली एंव तहसीलदार बाली को आदेश दिये कि वे विद्वान एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2012 की पालना अविलम्ब 15 दिन में की जाकर न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर को सूचित करे। पालना नही किये जाने पर दोनों अधिकारीयों के विरूद्ध अवमानना की कार्यवाही की जावेगी।

8. अन्त में प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निवेदन किया कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के प्र.सं. 2450/2005 में पारित निर्णय दिनांक 05.12.2012 की पालना अविलम्ब तहसीलदार बाली से करवाई जावे तथा प्रार्थी को न्याय दिलाया जावें।

9. अप्रार्थी की ओर से राजकिय अभिभाषक ने अपनी मौखिक बहस में निवेदन किया कि प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने प्रकरण संख्या 2450/2005 में निर्णय दिनांक 05.12.2012 को पारित किया गया था। जो कि लगभग 8 वर्ष पूर्व पारित किया गया था। सी.पी.सी. की धारा 144 के प्रावधानों अनुसार किसी भी न्यायालय के निर्णय की प्रासंगिकता इतने लम्बे समय पश्चात् नही रहती है। अतः प्राथी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज फरमावें।

10. हमने उभयपक्ष की मौखिक बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकर्ड का गहनता से अध्ययन करने पर तथ्य उभर के इस प्रकार आये की माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 5.12.2012 तथा निर्णय दिनांक 04.7.2016 की पालना श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली के न्यायालय द्वारा तहसीलदार बाली से करवाई जानी थी। जिस पर तहसीलदार बाली द्वारा दिनांक 26.7.2016 को जवबा प्रस्तुत कर निवेदन किया की वर्ष 1962 के नामान्तरकरण एवं गत रेकर्ड पटवारी हल्का खुडाला व कार्यालय तहसीलदार भू. अ. बाली में नहीं हैं। अतः प्रकरण में 15 दिवस का समय दिलाने की कृपा करावे। तत्पश्चात श्रीमान जिला कलेक्टर पाली द्वारा जरिये पत्रांक/738 दिनांक 20.7.2016 के उक्त प्रकरण में विधि सम्मत कार्यवाही हेतु 2 माह के समय हेतु श्रीमान निबन्धक महोदय राजस्व मण्डल अजमेर को निवेदन किया गया।

11. तत्पश्चात श्रीमान अति. जिला कलेक्टर महोदय द्वारा तहसीलदार बाली से उक्त प्रकरण के संबंध मे तथ्यातमक बिन्दुवार रिपोर्ट/प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु जरिये पत्रांक 553 दिनांक 10.4.2017 व पत्रांक 1308 दिनांक 9.11.2017 के निर्देशित किया गया किन्तु तहसीलदार बाली द्वारा बार–बार अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी बिन्दुवार रिपोर्ट/प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। जो अत्यन्त खेद का विषय हैं।

12. प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत, स्थापित, रेकर्ड से पुष्ट है कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 5.12.2012 की पालना न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली द्वारा तहसीलदार बाली से करवाई जानी थी। जो की निर्धारित समयावधी में संबंधित अधिकारी द्वारा पालना नहीं की गयी।

अति. जिला कलक्टर (सालिंग)
पाली (राज)

13. प्रकरण में राजकिय अभिभाषक के तथ्य को भी नकारा नही जा सकता की प्रकरण मे अंतिम निर्णय दिनांक 5.12.2012 को पारित किया गया हैं जिसे कि लगभग 9 वर्ष का समय हो गया हैं। अतः सी.पी.सी. की धारा 144 के प्रावधानों अनुसार किसी भी न्यायालय के निर्णय की प्रासंगिकता इतने लम्बे समय पश्चात् नही रहती है। इतने लम्बे समय तक निर्णय की पालना नही होने से अब उसकी कोई उपयोगिता प्रतीत नही होती।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज योग्य होने से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 144 सीपीसी खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(राधेश्याम)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(सीलिंग), पाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 24-9-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राधेश्याम)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(सीलिंग), पाली

अति. जिला कलेक्टर (सीलिंग)
(पाली)